265

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 976—तीन/2015 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 10—03—2015 के द्वारा न्यायालय अपर लेक्टर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 50/अ—74/मूल/2010—11.

.....

1— सत्यनारायण त्रिपाठी तनय स्व0 श्री बृजमोहन त्रिपाठी
2— विनय कुमार तिवारी तनय श्री हरिशंकर तिवारी
3— बाल्मीक तिवारी तनय श्री हरिशंकर तिवारी
4— अनिल कुमार तिवारीतनय श्री हरिशंकर तिवारी
5— अरूण कुमार तिवारी तनय श्री हरिशंकर तिवारी
6— सचिन तिवारी तनय हरिशंकर तिवारी
7— हरिशंकर तिवारी तनय स्व0 श्री जगदीश प्रसाद तिवारी
8— रामलखन शर्मा तनय श्री जगदीश प्रसाद तिवारी
सभी निवासी ग्राम पड़रा रीवा तहसील हुजूर
जिला रीवा म0 प्र0

—— आवेदकगण

विरूद्ध

1— श्रीमती गंगोत्री शुक्ला पत्नी श्री जगदीश प्रसाद शुक्ला
निवासी सा0 खुटेही (ढेकहा) तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0
2— मध्यप्रदेश शासन

—— अनावेदकगण

.....

श्री कमलेश्वर दुबे, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अजय कुमार पाण्डे अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 30/8/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–03–2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका श्रीमती गंगोत्री शुक्ला पत्नी श्री जगदीश प्रसाद शुक्ला निवासी साकिन खुटेही (ढेकहा) थाना सिविल लाईन तहसील हुजूर जिला रीवा की ओर से ग्राम पडरा रीवा स्थित आराजी खसरा नम्बर पुराना 118 नया नम्बर 149 के नक्शा सुधार हेतु म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 107 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया। भूमि खसरा कमांक 118 रीवा 0.081 है0 जो अधिकार अभिलेख निर्मित होने के उपरांत खसरा कमांक 149 रकवा 0.081 स्थित ग्राम पडरा जनरल नम्बर 333 तहसील हुजूर जिला रीवा के स्वामी श्री रामगोपाल श्री राम सजीवन दोनों के पिता जगतधारीराम ब्राम्हण निवासी पडरा तहसील हुजूर जिला रीवा ने आवेदका के हम में मुवलिग 750/– रूपये(सात सौ पचास) जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र कमांक 2772 दिनांक 30.11.74 ई0 को विकी कर कब्जा दखल दे दिया तब से आवेदिका उक्त खरीद शुदा रकबे में काबिज व दखील हुई। आवेदिका इसी विकय पत्र के माध्यम से एक अन्य भूमि खसरा कमांक 121 रकवा 0.068 है0 कय किया था व दोनों रकवो में काश्त करती रही। चूंकि उक्त भूमियां कृषि भूमियां थी इसलिये किसी अन्य का अतिकमण उक्त भूमियों में नहीं था। वर्तमान में ग्राम पडरा जनरल न0 333 की अधिकांश भूमियां आवादी की भूमियों हो गई हैं, व भूमिस्वामी विभिन्न केताओं को रिहायसी मकान बनाने हेतु छोटे–छोटे भू–खण्डों में भूमियां विकय कर दिये हैं जिससे आवेदिका के भूमि के अगल –बगल भी लोग आवासीय मकान बनाने हेतु भू–खण्ड के केताओं द्वारा अपना पिलर खड़ा कर घेरा बनाने के बाद ऐसा महसूस हुआ उसके द्वारा कयशुदा भूमि खसरा कमांक 149 रकवा 0.081 है0 का क्षेत्रफल मौके पर कम है तब आवेदिका ने स्वयं मौके पर नाप–जोख कराई तब इस बात की पुष्टि हुई कि आवास खण्ड कमांक 149 का खसरे में उल्लेखित रकवा 0.081 है0 के मुताबिक ग्राम पड़रा जनरल न0 333 के राजस्व नक्शे में क्षेत्रफल दर्शित नहीं है, बल्कि नक्शे के अनुसार उक्त खसरे का क्षेत्रफल 0.050 है0 है। आवेदिका को खसरे में दर्ज रकवा 0.081 है0 के अनुसार ग्राम के नक्शे में कम क्षेत्रफल कम दर्शित होने की जानकारी

स्वामित्व के आधार पर किये गये नाप–जोख के आधार पर हुई । आवेदिका का खसरा कमांक पुराना 118 जिसका नया नम्बर 149 है, रकवा 0.081 क्य किया गा व उक्त भूमि की खतौनी वर्ष 1924–25 में भी रकवा 0.081 है0 ही है। साथ ही वर्ष 1924-25 के नक्शे में उक्त भूमि को दर्शित करने वाले ग्राम के नक्शे में कोई त्रुटि नहीं थी। 0.081 है0 दर्शित किया गया था जिस त्रुटि को सुधार किया जाना आवेदिका के हित में होगा। साथ ही सही स्थिति को स्पष्ट करने के लिये आवेदिका द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किये थे । अपर कलेक्टर रीवा द्वारा तहसीलदार तहसील हुजूर से अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किये गये। आवेदकगण की आपत्ति निरस्त कर अनावेदिका का नक्शा सुधार का आवेदन पत्र स्वीकार किया। इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदकगण के अधिवक्तागण द्वारा अपनी लेखी बहस में तर्क लेख किया है कि अनावेदिका कमांक–1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भूमि खसरा कमांक 149 स्थित मौजा पड़रा तहसील हुजूरजिला रीवा म0प्र0 के नक्शा संशोधन का आवेदन पत्र पस्तुत प्रस्तुत किया गया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल प्रकरण को तहसीलदार तहसील हुजूर की ओर प्रेषित कर राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया जो दिनांक 8.8.11 से दिनांक 12.3.13 तक तहसीलदार की न्यायालय में प्रतिवेदन हेतु पेशियां नियत की जाती रही। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में मात्र म0 प्र0 शासन को पक्षकार बनाया गया था इसके पश्चात अनावेदिका के प्रभाव में आकर राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके की स्थिति के विपरीत व सरहदी भूमिस्वामियों की अनुपस्थिति में अवैधानिक रूप से प्रतिवेदन तैयार किया जाकर प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रतिवेदन पर विश्वास करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने विधि में वर्णित प्रावधान के विपरीत आदेश पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। उनके द्वारा अपने लेखी बहस में यह भी उल्लेख किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संलग्न राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन में स्पष्ट था कि उक्त प्रतिवेदन तैयार करते समय हितवद्व व्यक्ति मौके पर उपस्थित नहीं थे। वैसे भी विधि में वर्णित प्रावधानों का पालन करते हुये प्रतिवेदन तैयार किया

जाना चाहिये यानी सरहदी कास्तकारों को मौके पर उपस्थित रहने हेतु विधिवत पूर्व से सूचना भूमिस्वामियों को मौके पर उपस्थित रहने हेतु विधिवत पूर्व से सूचना दिया जाना नितांत आवश्यक होता है व उनकी उपस्थिति में ही पैमाईस किया जाकर प्रतिवेदन तैयार किया जाना चाहिये लेकिन राजस्व निरीक्षक द्वारा तैयार किये गये प्रतिवेदन में उक्त प्रकियाओं का पालन नहीं किया गया इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण आवश्यक तथ्यों के अभाव के आधार पर अवैधानिक रूप से तैयार किये गये प्रतिवेदन को आधार मानकर दिनांक 10.3.15 को आदेश पारित कया गया जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क में कहा गया है कि अनावेदिका कमांक 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नक्सा सुधार हेतु जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था उसमें यह कहीं उल्लेख नहीं है कि वर्तमान नक्सा गलत होने की जानकारी किस आधार पर और किस दिनांक को हुई है। जबकि विधि में स्पष्ट व्यवस्था है कि कोई भी आवेदन पत्र निर्धारित समय के अन्दर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाय या बिलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का समुचित कारण विधि में वर्णित प्रावधान के तहत स्पष्ट करते हुये प्रस्तुत किया जाय। अनावेदिका कमांक 1 द्वारा न तो अपने स्वामित्व की भूमि का सीमांकन ही आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व कभी कराया कि नक्सा गलत है की जानकारी उसे प्राप्त हुई। आवेदन में यह उल्लेख कर देने मात्र से कि स्वतः नाप जोख करने पर नक्से में अशुद्धता है की जानकारी हुई से आवेदन प्रमाणित किया जाना कतई उचित नहीं था क्यों कि अनावेदिका द्वारा इस तथ्य को प्रमाणित नहीं किया गया था कि उसे नक्शे की नापजोख की जानकारी बावत कोई दक्षता प्रमाण पत्र है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.3.15 निरस्त कर आवेदकगण की निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदक कमांक–1 के अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस प्रस्तुत कर उल्लेख किया गया है कि आवेदिका द्वारा मूल नक्शे में रकवा के अनुसार नक्सा सुधार हेतु म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई की धारा 107 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया उक्त आवेदन पत्र में

म0 प्र0 शासन को ही मात्र अनावेदक के रूप में संयोजित किया जाकर आवेदन पत्र प्रस्तुत कियागया था क्यों कि आवेदन पत्र प्रस्तुत दिनांक तक आवेदिका को इस तथ्य की कतई जानकारी नहीं थी कि रकवा के अनुसार नक्शे में सुधार से कौन सा नम्बर प्रभावित होगा। लिहाजा चतुर्दिक सीमा के किसी भी नंबरान के भूमिस्वामी को पक्षकार अनावेदक नहीं बनाया गया, आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर न्यायालय अपर कलेक्टर रीवा द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की जाकर अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर के माध्यम से जांच कर प्रतिवेदन मंगाया गया था जिस पर अनुविभागीय अधिकारी हुजूर ने तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा से भूमि खसरा नंबर 149 रकवा 0.081 है0 का पुराने नक्शे के आधार पर मौके से किया जाकर प्रतिवेदन मय स्थल पंचनामा नजरी नक्शा की प्रति सहित प्रस्तुतकर प्रतिवेदित किया है कि राजस्व अभिलेख खसरा में खसरा कमांक 149 रकवा 0.081 है0 के मुताबिक प्रचलित ग्राम के नक्शे में रकवा कम दर्शित है तथा पुराने नक्शे के अनुसार प्रस्ताव नक्शा सुधार हेतु प्रेषित किया गया था जो प्रतिवेदन तहसीलदार हुजूर जिला रीवा के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी हुजूर को दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर रीवा को प्रेषित किया गया था जो अधीनस्थ न्यायालय के मूल प्रकरण में संलग्न है। अनावेदक द्वारा अपने लिखित बहस में यह भी उल्लेख किया गया है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके से की गई जांच अनुसार भूमि खसरा कमांक 149 का कुछ भाग संलग्न भूमि खसरा कमांक 122 में 2000 वर्गकड़ी जिसे भूमि खसरा कमांक 124 में 2000 वर्ग कड़ी भूमि खसरा कमांक 151 में 2800 वर्गकड़ी जिसे खसरा कमांक 150 में सम्मिलित कर 150 से 2750 वर्गकडी खसरा कमांक 149 में शामिल किया गया, जिससे राजस्व नक्शा में राजस्व खसरा में दर्ज रकवे की पूर्ति होती है, जिससे भूमि खसरा कमांक 149 का रकवा नक्शा में राजस्व अभिलेख में दर्ज रकवा 0.081 है0 के अनुसार दर्शित हो सके। आगे तर्क में कहा गयाहै कि अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष लंबित प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा के माध्यम से जांच प्रतिवेदन मंगाया था जिसमें निगरानीकर्तागण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर उन्हें भी चतुर्दिक सीमा के कास्तकार की हैसियत से प्रकरण में पक्षकार संयोजित किया

गया था, लिहाजा प्रकरण में आये जांच प्रतिवेदन तथ्यों एवं लैखिक साक्ष्य के आधार पर की गई, जिसमें किसी भी तरह की विधिक त्रुटि नहीं की गई है। जिससे संपूर्ण कार्यवाही व आदेश उचित है, उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। निगरानीकर्ता क्रमांक 1 की भूमि राजस्व खसरे में दर्ज रकवा के मुताबिक ग्राम के राजस्व नक्शे में रेखांकित नहीं थी, जिससे मौके पर विसंगतिया थी, जिसका नाजायज लाभ चतुर्दिक सीमा के भूमि स्वामी द्वारा लेते हुये विभिन्न केताओं को भूमियां विक्रय करने की योजना थी व है जिससे तरह–तरह की राजस्व दीवानी व फौजदारी मुकदमो में अनावेदकगण कमांक 1 को जूझना पड़ता। राजस्व खसरे के मुताबिक ग्राम के राजस्व नक्शें में क्षेत्रफल दर्शित किये जाने हेतु राजस्व नक्शे में संशोधन किये जाने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया जो सर्वदा उचित था। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी भी तरह की विधिक त्रुटि नहीं है और न ही संपूर्ण कार्यवाही में किसी भी तरह की विसंगति है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणदोष पर प्रकरण का विधि अनुरूप निराकरण किया गया है जिसमें किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अत आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये जिसका अध्ययन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनकी निगरानी में उल्लेख किया गया है। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण में संलग्न अधिकार अभिलेख वर्ष 1973 की सत्यप्रति की छाया पति खतौनी व वर्ष 1982 से 2001 एवं रजिस्ट्री की छाया पति के अवलोकन से पाया जाता है कि आराजी नम्बर पुराना 118 नया नम्बर 149 रकवा 0.20 एकड़ यानी 0.081 है0 है। अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला रीवा के जांच प्रतिवेदन प्रकरण कमांक 54/अ–74/2012–13 में तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा की आदेश पत्रिका दिनांक 24.6.13 में उल्लेखित किया गया है कि आवेदन पत्र की जांच राजस्व निरीक्षक से कराई गई राजस्व निरीक्षक के द्वारा खसरा नम्बरान सीमावर्ती खसरा नम्र 122, 124 एवं 152 के भूमिस्वामियों को सूचित किया गया पर नक्शा सुधार आवेदन

पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है, इस प्रकार राजस्व निरीक्षक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, नजरी नक्शा एवं ट्रेस प्रदर्श –पी –2 अनुविभागीय अधिकारी की ओर प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार तहसील हुजूर के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय को भेजा जिसमें उनके द्वारा अपने आदेश के पैरा 9 एवं 10 में विस्तार से विवेचना की है जिसे दौहाराने की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप आवेदकगण की आपत्ति निरस्त करने में अपर कलेक्टर द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। अनावेदक कमांक–1 द्वारा प्रस्तुत नक्शा सुधार का आवेदन समस्त जांच प्रतिवेदन एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः न्यायालय अपर कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 50/अ–74/मूल/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 10.3.2015 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदकगण की निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर